श्रीमान जी संलग्न विक्रय पत्र के अनुसार
ख० न० 161 रकबा 6 बिघा 1 बिस्वा में से हि० 1/6
का बेचान किया है। जिसके वर्तमान ख० न०
~~583~~ 301 रकबा 1.53 है० दर्ज है।
विक्रय पत्र के बाद में न्यायालय निर्णय डिक्री
के द्वारा नामा० सं० 225 दिनांक 30/10/17 को
नामा० के अनुसार विक्रेता राधेश्याम पुत्र
कानाराम जाति ब्राह्मण के ख० न० 583/301
रकबा 0.27 है० दर्ज है।

जबकि विक्रय पत्र के अनुसार विक्रेता
के हिस्से में हि० 1/6 के अनुसार रकबा 20 बिस्वा
लगभग 1 बीघा ही हिस्से में आती है। जबकि
वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार विक्रेता का हिस्सा
0.27 है० दर्ज है।

अत: विक्रय पत्र व निर्णय डिक्री के बाद
0.02 है० का अन्तर है। जो कि विक्रय पत्र से
ज्यादा है।

अतः रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर
प्रेषित है।

[signature]
29/05/18
श्रवण कुमार मीणा
[signature] 22/05/18
तहसील जमवारामगढ़
ILR-ताला

[signature]
22/5/18 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी
एवं ILR व संलग्न विक्रयपत्र अनुसार
विक्रेता राधेश्याम के खाता खसरा नं 161 रकबा 6/1
1/6 का बेचान किया गया विक्रय पत्र के बाद में
न्यायालय निर्णय एवं सेटलमेंट प्रक्रिया से नम्बर बदलकर
301/583 बना है तथा रकबा 0.27 हैक्टे०
दर्ज हुआ इस प्रकार विक्रयपत्र अनुसार
व वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार 0.02
हैक्टेयर रकबे का अन्तर आता है। बाद
अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ पेश है।
ना० तह०
[signature] 29/5/18
मैं सहमत हूँ

क्रेता द्वारा विक्रेता के हिस्से
से अधिक रकबा नामान्तरण
... नामान्तरकरण ...
... हेतु शपथ पत्र
प्रस्तुत किया है कि विक्रेता के हिस्से
की भूमि का नामा० उक्त पक्ष
... हिस्से ...
नहीं है। प्रकरण बाबत अग्रिम
आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
महोदय की सेवा में अग्रिम कार्यवाही
हेतु प्रस्तुत है।
[signature] 29/5/18
श्रीमान SDO सा० कानाराम ...
मु० ... 29/5/18

पत्रावली का अवलोकन किया गया।
तहसीलदार जमवारामगढ़ को आदेश दिये
जाते है की विक्रेता द्वारा बेचे गये
हिस्सा 1/6 के स्थान पर डिक्री से प्राप्त
हिस्से का नामान्तकरण प्रार्थी के नाम
दर्ज किया जावे।
[signature] 29/5/18
मैं सहमत हूँ
नि० राधेश्याम
... भगवाल
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़